



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

**U. P. POWER CORPORATION
LIMITED**

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

संख्या -766-अप्र-07/पाकालि/2014-15अप्र07-07/13

दिनांक: 13 फरवरी, 2014

कार्यालय ज्ञाप

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत तथा पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा घोषित कम्बाइन्ड तैनातीकरण के आधार पर 40 प्रतिशत प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत अधोनामित अवर अभियन्ता (जानपद) को उनके वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर, उनके नाम के सम्मुख अंकित इकाई पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी/स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (जानपद) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि वे पूर्व परिषदादेश संख्या 485-ए-आर/राविप-01-28-एआर/89 दिनांक 27.03.1989 के सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से भाग लेंगे।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे :-

जानपद संवर्ग (40 प्रतिशत)

क्र० सं०	अवर अभियन्ता का नाम पिता का नाम/जन्मतिथि/गृह जनपद/वरिष्ठता क्रमांक	वर्तमान तैनाती	प्रोन्नति पश्चात् तैनाती/ आवंटन इकाई	अभि० सं०
1	श्री सन्तोष कुमार श्रीवास्तव, पुत्र श्री बी०एन० प्रसाद श्रीवास्तव, 01.06. 1957/वाराणसी/ 304/79-80	विद्युत जानपद वितरण खण्ड, इलाहाबाद	डिस्काम वाराणसी	201407

सभी अवर अभियन्ताओं सहायक अभियन्ता पद पर कार्यभार प्रमाण पत्र भरने से पूर्व उनके नियंत्रक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि:-

- अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयंत्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।
 - अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण न चल रहा हो।
 - उपर्युक्त सूची में अवर अभियन्ता के विरुद्ध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति है तो प्रोन्नत अवर अभियन्ता को कार्यमुक्त करने से पूर्व विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति की नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है।
- सक्षम अधिकारी का यह दायित्व होगा वे उपर्युक्त आवंटित अधिकारी की तैनाती उ०प्र० पा०का०लि० में वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे तत्पश्चात् एक माह में कार्यभार ग्रहण कराना भी सुनिश्चित करेंगे।

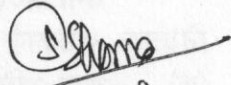
प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 76 6(1)-अ0प्र0-07/पाकालि/2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से प्रेषित कि संबंधित अवर अभियन्ता को सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति हेतु अवमुक्त करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि :-

- (क) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयन्त्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।
- (ख) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी प्रकरण न चल रहा हो।
1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (का0प्र0एवं प्रशा0)/निदेशक (वितरण)/निदेशक(वित्त), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।
5. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पा0का0लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिकारियों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कराने हेतु अवश्य व्यवस्था करें।
6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
- ✓ 7. अधिशाषी अभियन्ता (Website) उ0प्र0 शक्ति भवन, लखनऊ।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पा0का0लि0।
9. सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता उ0प्र0 पा0का0लि0।
10. उपसचिव (अ0प्र0-04) उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अनुभाग अधिकारी, (अ0प्र0-04)/गोपन अनुभाग, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. संबंधित अधिकारीगण।
14. गार्ड फाइल/कट फाइल।

आज्ञा से,


(सुबोध कुमार शर्मा)
उप सचिव